

11/7/23 पत्रावली पेश हुई। जाची व कचील जाची  
अनुषा वार आकाज दिलवायी जाने के  
उपरान्त भी जाची की और से कोई  
उपण नहीं अतः जाची का चार्जिंग पत्र  
धारा 136 LRMP अदम हाजरी अदम  
पैरवी में खारीज किया जाता है पत्रावली  
फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर  
दाखिल फरत हो।



(राजवीर सिंह यादव)  
उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाथाना (राज.)